फर्द अहकाम

मांगीलाल बनाम जानकी वगैरा

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 170/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	9/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में जवाब प्रा. पत्र आदेश 7 नि० 11 CPC हेतु आखिरी अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 19/9/21 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	19/9/21	पत्रावली पेश हुई। P.O. का अवकाश होने के कारण पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी, जवाब दिनांक 23/9/21 को पेश हो। [signature]
	23/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने जवाब प्रा. पत्र आदेश 7 नि० 11 CPC पेश किया। शामिल मिसल किया जाकर जिसकी एक प्रति वकील प्रतिवादी को दिलवाई गई। वकील उभय पक्षों की बहस प्रा. पत्र आदेश 7 नि० 11 CPC पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा. पत्र आदेश 7 नि० 11 CPC हेतु दिनांक 25/9/21 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

मांगीलाल बनाम जानकी वगै0

संख्या : 170/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24-09-2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 3 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नम्बर 251 के संबंध में दावा पेश किया है जो कि ग्राम खराणा में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी ने श्रीमति जानकी देवी पत्नि प्रभू सैन, लालाराम पुत्र प्रभू सैन जिनका पूर्व में तकासमा हो चुका था से उक्त आराजी दिनांक 12.10.2020 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र क्रय की थी जिसका नामा0 07.12.2020 को प्रार्थी के खुला था तत्पश्चात दिनांक 10.03.2021 को उक्त आराजी को कृषि भूमि से औधोगिक ईकाई हेतु रूपान्तरण करवा लिया ाि जिसका नामा0 भी खुल चुका था। वादी द्वारा उक्त प्रकरण झूठे तथ्यों व न्यायालय को गुमराह करते हुये पेश किया गया है। क्योकि वादी मांगीलाल ने उक्त भूमि को जो कि पहले सामलाती थी स्वयं दिनांक 06.02.2013 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में सहमति से तकासमा करवा लिया था उसके बाद प्रार्थी ने दिनांक 12.10.2020 को रजि0 विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर औधोगिक ईकाई हेतु रूपान्तकरण करवा ली तथा उसके बाद प्रार्थी ने उक्त भूमि में उद्योग लगाने हेतु वित्तीय संस्था में चार करोड रूपये का लोन लेने हेतु फाईल लगा दी जिसकी जानकारी वादी को होने पर उक्त दावा श्रीमान के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर व न्यायालय को गुमराह करते हुये पेश किया गया है। वादी द्वारा उक्त दावा तकासमा शुदा भूमि का पेश किया गया है जो कि वादी ने स्वयं अपनी भूमि का सहमति से तकासमा करवा लिया था जो कि अब चलने योग्य नही है तथा साथ ही प्रार्थी ने उक्त भूमि को औधोगिक ईकाई में परिवर्तन करवा लिया है जो कि न्यायालय को अब उक्त भूमि के बारे में मुकदमा सुनवाई को क्षेत्राधिकार नही है जिस कारण उक्त दावा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी /वादी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र आ0 7 नि011 सी0पी0सी0 में अंकित बिन्दूओं को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि प्रा0पत्र का मद सं0 1 में तारीख पेशी को नियत होना स्वीकार है। मद सं0 2 अस्वीकार है। वादी द्वारा उक्त प्रकरण में पूर्ण तकासमे को चेलेन्ज किया है उस समय भूमि कृषि भूमि ही थी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा भूमि की रजि0 2020 में करवायी है। उससे पूर्व उक्त खसरा नम्बर 251 की भूमि कृषि भूमि ही थी तथा उक्त प्रकरण में पूर्व तकासमें को चुनौती दी गयी है। प्रार्थी की उक्त आपत्तियॉ दावे में विवाधक बनके तय हो जायेगी। मद सं0 3 अस्वीकार है। मद सं0 4 अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा चाही गयी आपत्तियॉ विवाधक बन के तय हो जायेगी इसलिये प्रार्थी का प्रा0 पत्र मेन्टेबल नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
मु० नं० 170/2024 मांगीलाल बनाम जानकी वगै-

अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध वादी के वाद पत्र, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी., जवाब प्रा0 पत्र आ07(11) एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण में अंकित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 251 की किस्म औधोगिक प्रयोजनार्थ है तथा पूर्व में तकासमा शुदा है। अतः प्रार्थी /प्रतिवादी सं0 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी /प्रतिवादी सं0 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 को स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़